



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180446

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 7971 वर्ष 2026

मोहित कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : हेमंत शाह सिंह, विनय कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 73 सन् 2026, धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम तथा बी.एन.एस., 2023 की धारा 61 एवं 318, थाना-कुठौंद, जनपद-जालौन, में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि वह हिंदू धर्म से संबंधित लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित और प्रलोभित कर रहा था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक स्वयं हिंदू है। उसे केवल साक्ष्य गढ़कर झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वह जनपद जालौन से जिला पंचायत के चुनाव में एक प्रबल दावेदार है। आवेदक अपने चुनाव के लिए प्रचार कर रहा था और अनुचित प्रभाव का प्रयोग करते हुए, सूचनादाता, जो एक अन्य संगठन आर.एस.एस. से भी संबंधित है, द्वारा यह झूठा मामला दर्ज कराया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया। तथापि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक हिंदू धर्म को मानता है। विद्वान ए.जी.ए. ने कहा है कि आवेदक द्वारा समाज के वंचित वर्गों से संबंधित निर्दोष व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास में पवित्र बाइबिल तथा भजनों की पुस्तकें वितरित की जा रही थीं। आवेदक का यह कृत्य अत्यंत गंभीर है और उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक का दावा है कि वह लखनऊ में एक रैली में भाग लेने के लिए अपने समर्थकों को बस द्वारा ले जा रहा था। उसका दावा है कि वह जिला पंचायत सदस्य के पद का एक प्रबल उम्मीदवार है। आवेदक के दावे के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट राजनीतिक विचारों से प्रेरित है। यह तथ्य कि आवेदक हिंदू है, अस्वीकार नहीं किया गया है। प्रथमदृष्टया, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से, आवेदक द्वारा लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए जाने की कोई स्वतंत्र पुष्टिकारी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी कथित पीड़ित से भजनों की कोई पुस्तक अथवा बाइबिल बरामद नहीं की गई है।

7. जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-**मोहित कुमार** की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, उसे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

कुशल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!